

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1487]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 16, 2014/आषाढ़ 25, 1936

No. 1487]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 16, 2014/ASHADHA 25, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2014

का.आ. 1849(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 203 (अ) तारीख 9 जनवरी, 2014 जो भारत के राजपत्र तारीख 23 जनवरी, 2014 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में राजस्थान राज्य में कोटा संस्थापन से जौबनेर तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए कोटा-जौबनेर पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 25.02.2014 को उपलब्ध करा दी गई थी।

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के

प्रकाशन की तारीख को केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।

अनुसूची

तहसील : मौजमाबाद		जिला: जयपुर	राज्य: राजस्थान
क्र. सं.	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
1	खटवाड़	625	0.1800
		624	0.1800
		623	0.1512
		622	0.1512
		615	0.1656
		614	0.4788
		604	0.2232
		605	0.0684
		627	0.0252
		628	0.0216
		626	0.1764
2	कापड़ियावास कलां	493	0.0144
		494	0.1008
		495	0.0792
		496	0.0432
		481	0.0576
		483	0.1224
		484	0.0720
		487	0.1944
		478	0.1080
		479	0.1332
		453	0.0576
		454	0.0936
		413	0.2160
		261	0.0720
		402	0.0720
		403	0.2204
		404	0.0288
		393	0.0180
		394	0.0720
		395	0.0360
		397	0.2160
		398	0.0144
		399	0.0576
		381	0.0720
		281	0.0072
		344	0.0072
		283	0.1440
		284	0.0972
		285	0.0576
		286	0.1080
		287	0.1872
		288	0.1584
		304	0.0072
		307	0.0504

		35	0.0144
		37	0.0792
		38	0.0144
		39	0.0072
		61	0.0720
		33	0.1548
		34	0.0144
		32	0.0180
		31	0.1800
		22/595	0.0144
		7	0.2160

[फा.सं. आर-31015/36/132-ओआर-II]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th July, 2014

S.O. 1849(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 203 (E) dated 09th JAN., 2014 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act. 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act) published in the Gazette of India dated the 23rd Jan., 2014 the Central Government declared its intension to acquire the right of user in the land, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying a pipeline for transportation of petroleum products through Kota – Jobner Pipeline Project from Kota to Jobner Terminal in the State of Rajasthan by Bharat Petroleum Corporation Limited;

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 25.02.2014.

And whereas the competent authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land, specified in the Schedule, appended to this notification, is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest of the date of the publication of this declaration, in Bharat Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Tehsil : Maujmabad		Dist- Jaipur	State: Rajasthan
Sr. No.	Name of Village	Survey No.	Area in Hectare
1	Khatwad	625	0.1800
	+	624	0.1800
		623	0.1512
		622	0.1512
		615	0.1656
		614	0.4788
		604	0.2232
		605	0.0684
		627	0.0252
		628	0.0216
		626	0.1764
2	Kapadiyawas Kalan	493	0.0144
		494	0.1008
		495	0.0792
		496	0.0432
		481	0.0576
		483	0.1224
		484	0.0720
		487	0.1944
		478	0.1080
		479	0.1332
		453	0.0576
		454	0.0936
		413	0.2160
		261	0.0720
		402	0.0720
		403	0.2204
		404	0.0288
		393	0.0180
		394	0.0720
		395	0.0360
		397	0.2160
		398	0.0144
		399	0.0576
		381	0.0720
		281	0.0072
		344	0.0072
		283	0.1440
		284	0.0972
		285	0.0576
		286	0.1080
		287	0.1872
		288	0.1584
		304	0.0072
		307	0.0504
		35	0.0144
		37	0.0792
		38	0.0144
		39	0.0072
		61	0.0720
		33	0.1548

		34	0.0144
		32	0.0180
		31	0.1800
		22/595	0.0144
		7	0.2160

[F.No. R-31015/ 36 /13 -OR-II]

PAWAN KUMAR , Under Secy.